मनमोहन - बनाम शिवराम अपील 70/24

दिनांक	आज्ञा पत्र	
7.1.25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट...रिमांड...... की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, IRAS

अपील संख्या 70/2024

1 मनमोहन उम्र 40 साल पुत्र फुलाराम जाति चमार निवासी गांव भेडन्टी तहसील नारनोल पोस्ट नांगल चौधरी जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।

अपीलांट

बनाम

1 शिवराज बेरवा उम्र 39 साल पुत्र रामचन्द्र बेरवा जाति बलाई निवासी 332 संजय नगर, डीसीएम अजमेर रोड़ जयपुर जिला जयपुर हाल निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्ट/वादी

2 छीतरमल पुत्र घीसाराम जाति बलाई निवासी जवाहर नगर तन भारीजा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर हाल निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

3 बिरजू देवी पत्नी गोपाल सिंह जाति खटीक निवासी दिल्ली हाल निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

4 रमेश ऐरवाल उम्र 39 साल पुत्र बुद्धिप्रकाश जाति बलाई निवासी मानपुरा गम्भीरा तहसील नैनवा जिला बुंदी हाल खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

5 राज्य सरकार जरिए तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।

6 उप पंजीयक दांतारामगढ़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

7 पटवारी पटवार हल्का खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

8 ललित कुमार सामरिया पुत्र रामचन्द्र सामरिया जाति खटीक निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस/प्रतिवादीगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अ.धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्राथमिक डिक्री व निर्णय दिनांक 03.04.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर पीठासीन अधिकारी गोविन्द सिंह भींचर आरएएस दावा संख्या 232/2023 दावा बाबत बंटवारा उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :

1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री छोटूराम सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 7.1.25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 232/2023 में पारित निर्णय दिनांक 03.04.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद बंटवारा, उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती बाबत भूमि खसरा नम्बर 5812/2024, 5814/2024, 5818/2006, 5821/2026 वाके ग्राम खाटूश्यामजी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष पुष्पा चौधरी नामक अधिवक्ता ने रेस्पोडेन्टस के कोल्यूजन में आकर अपीलांट के फर्जी हस्ताक्षरों का वकालतनामा प्रस्तुत किया अपीलांट किसी पुष्पा चौधरी नामक अधिवक्ता को नहीं जानता है तथा वकालतनामा पर अपीलान्ट के फर्जी हस्ताक्षर है अपीलांट ने श्री पुष्पा चौधरी को अधिवक्ता नियुक्त नहीं किया, ना ही उसे पैरवी करने के लिए हिदायत दी। उक्त पुष्पा चौधरी अधिवक्ता ने वाद पत्र के वादी एवं उससे दुरभि संधि करके प्राथमिक डिक्री जारी करने में सहमति प्रदान करने वाले प्रतिवादीगण से अन्यथा लाभ अर्जित कर फर्जी वकालतनामा लगाकर अपीलांट के हितो के विरूद्ध पैरवी की है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि विवाधक कायम होने के पश्चात उभयपक्ष की साक्ष्य लेखबद्ध करके तनकीवाईज निर्णय किया जाना होता है। राजस्व ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 5812/2024 रकबा 0.3769 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 5814/2024 रकबा 0.1440 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5818/2006 रकबा 0.0120 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5812/2026 रकबा 0.17 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.7029 हैक्टेयर अवस्थित है जिसमें अपीलांट 7/33 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर काबिज है जिसने प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय पारित करने में विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सहमति प्रदान नहीं की। सहमति प्रदान करने का तात्पर्य वाद में समझौता की परिधि में होता है जिसके संबंध में आदेश 23 नियम 3 सीपीसी के प्रावधान लागु होते है आदेश 23 नियम 3 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार समझौता लिखित में होना एवं पक्षकारों के समझौता पर हस्ताक्षर होना तत्पश्चात अधिवक्तागण से उनकी पहचान करवाया जाने के पश्चात उक्त समझौता को पीठासीन अधिकारी द्वारा तस्दीक किया जाने के पश्चात ही पारस्परिक सहमति के आधार पर बाद साक्ष्य निर्णय एवं डिक्री पारित की जा सकती है परन्तु विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 03.04.2024 का अवलोकन किया जावे तो अपीलान्ट ने व्यक्तिशः उपस्थित होकर या अन्य पक्षकार ने व्यक्तिशः

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थित होकर प्राथमिक डिक्री जारी करने पर सहमति प्रदान नहीं की है जिस कारण आदेश 23 नियम 3 सीपीसी के प्रावधानों का उल्लंघन के बावजूद भी विचारण न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय पारित कर दिया। जो कि विधि के प्रावधानों के विपरित होने के कारण खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। विचारण न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री जारी करके तहसीलदार दांतारामगढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया है जबकि मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाने का धारा 53 अथवा विभाजन के संबंध में बनाये गये नियम 18 से 21 में कोई कानूनी प्रावधान नहीं है बल्कि प्राथमिक डिक्री जारी करने पर तहसीलदार से नियम 20 व 21 के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया जाना होता है एवं उक्त नियमों के अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु नियम 18 से 21 के विपरित स्वयं द्वारा शर्ते बनाकर प्राथमिक डिक्री में अंकित किया है एक तरफ विचारण न्यायालय आदेशिका दिनांक 03.04.2024 के अनुसार प्राथमिक डिक्री पारित की है दूसरी तरफ दिनांक 03.04.2024 के विपरित शर्ते अधिरोपित की है जिससे भी यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने मनमोजीपन से प्राथमिक डिक्री जारी की है इसलिए चुनौतग्रस्त डिक्री व निर्णय को अपास्त किया जाना प्रार्थनीय है। किसी भी कार्यवाही में विपक्षी को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान किय जाना प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है इस संदर्भ में विचारण न्यायालय को सहमति हेतु व्यक्तिशः उपस्थित होने के लिए पक्षकारान को निर्देशित किया जाना न्यायसंगत था परन्तु पक्षकारान की अनुपस्थिति में प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित करके कानूनी भुल की है इसलिए चुनौतीग्रस्त प्राथमिक डिक्री व निर्णय को अपास्त किया जाना प्रार्थनीय है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि सहखातेदारी की दर्ज होना राजस्व रिकार्ड से प्रमाणित है। विचारण न्यायालय के समक्ष विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया था। सम्यक तामील के उपरांत अपीलांट की जरिये वकील उपस्थिति रही है। वकालतनामें के संदर्भ में आपराधिक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकरण राजस्व न्यायालय की विषयवस्तु नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। अपीलांट के पास विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर चाराजोही करने का विकल्प खुला हुआ है। विभाजन की प्राथमिक डिक्री से अपीलांट के हित प्रभावित नहीं हो रहे है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की ओर से पुष्पा चौधरी अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किये जाने का अंकन है। किन्तु विचारण न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट का तामीलशुदा नोटिस संलग्न नहीं है। अपीलांट द्वारा फर्जी वकालतनामा प्रस्तुत करने के संदर्भ में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने अपीलांट की तामील सम्यक होना एवं अपीलांट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना प्रकट नहीं होता है। फलतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय का इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट का जवाब दावा प्राप्त कर, दावा व जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम कर, साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 7.1.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम जाट)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर